मेरठ विकास प्राधिकरण

की

101वीं बोर्ड बैठक

दिनांक : 26—02—2014

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 101वीं बैठक दिनांक 26--02--2014 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 101वीं बैठक कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के सभागार में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ / अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में दो चरणों में सम्पन्न हुई। प्रथम चरण में दिनांक 09--01--2014 को 99वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या पर चर्चा की गयी तथा अध्यक्ष को लखनऊ बैठक में शामिल होने हेतु प्रस्थान करने के कारण बैठक स्थगित करनी पड़ी। दूसरे चरण में बैठक दिनांक 26--02--2014 को सम्पन्न हुई जिसमें मेरठ विकास प्राधिकरण के अत्यावश्यक काम--काज के निस्तारण हेतु सम्बन्धित विषयों पर चर्चा की गयी। सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा सभी उपस्थित मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में उपाध्यक्ष एवं निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:--

1.	श्री पंकज यादव,	ज़िलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य।
2.	श्री डी0सी0 गुप्ता,	सहयुक्त नियोजन, (प्रतिनिधि--मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ) सम्भागीय नियोजन खण्ड, मेरठ	सदस्य।
3.	श्री अब्दुल समद,	नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।	सदस्य।
4.	डा0 आभा गुप्ता,	संयुक्त निदेशक उद्योग, ज़िला उद्योग, मेरठ।	सदस्य।
5.	श्री एस0के0 अग्रवाल,	अधीक्षण अभियन्ता, (प्रतिनिधि आवास आयुक्त) मेरठ जोन, मेरठ।	सदस्य।
6.	श्री मनोज कुमार,	सहायक नियोजक, (प्रतिनिधि--आयुक्त,एन0सी0आर0) गाजियाबाद।	सदस्य।
7.	डा0 दिनेश कुमार,	संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, (वित्त विभाग के प्रतिनिधि), मेरठ।	सदस्य।

8. श्री पी0के0निगम	उप महा प्रबन्धक (विद्युत नगरीय), मेरठ।	सदस्य।
9. श्री एन0के0गोयल,	अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम, मेरठ।	सदस्य।
10. श्री डी0पी0श्रीवास्तव	अपर ज़िलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति)	विशेष आमन्त्रित सदस्य।
11. डा0 राजेश सिंह,	शासन द्वारा नामित सदस्य, दयानन्द नर्सिंग होम, बेगमपुल, मेरठ।	सदस्य।
12. श्री परमिन्दर इसू,	शासन द्वारा नामित सदस्य, 32, सोतीगंज, गुरूद्वारा रोड़, मेरठ।	सदस्य।
13. श्री राजेश कुमार,	सचिव / उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	संयोजक / सदस्य।

प्राधिकरण की 100वीं बोर्ड बैठक दिनांक 08–11–2013 के कार्यवृत्त की पुष्टिः–

प्राधिकरण की 100वीं बोर्ड बैठक दिनांक 08–11–2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्राधिकरण की 81 वीं बोर्ड बैठक दिनॉंक 18–02–2008 की अनुपालन आख्या–

मद संख्या : 2

बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी तथा यह निर्देश दिये गये कि दिल्ली रोड़ पर स्थित एस0के0फार्म हाउस का प्रकरण पहले ही निस्तारित हो चुका है, अतः विवाह मण्डपों व अवैध मोबाइल टावर्स के सम्बन्ध में कार्यवाही पर आख्या पृथक मद के रूप में रखा जाये।

प्राधिकरण की 82 वीं बोर्ड बैठक दिनॉंक 30–04–2008 की अनुपालन आख्या–

मद संख्या : 8

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी तथा यह निर्देश दिये गये कि मैसर्स दीवान दौलतराम एजूकेशन फाउन्डेशन का शैक्षिक मानचित्र सं0 115 / 07 की स्वीकृति का प्रकरण पहले से निस्तारित हो चुका है, अतः अवैध कालोनियों के सम्बन्ध में प्रस्ताव पृथक से रखा जाये।

प्राधिकरण की 96वीं बोर्ड बैठक दिनांक 19—12—2011 में प्रस्तुत प्रस्ताव—

मद सं0 : 20, 21, 22

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा पल्लवपुरम आवासीय योजना फेस द्वितीय, श्रद्धापुरी आवासीय योजना फेस—प्रथम तथा गंगानगर आवासीय योजना के हस्तान्तरण हेतु अवशेष कार्यो को पूर्ण करने के निर्देश दिये गये, यह निर्देश भी दिये गये कि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा कालोनी हस्तान्तरण के समय अवशेष कार्यो हेतु दी गयी धनराशि से कराये जा रहे कार्यो का सत्यापन प्रत्येक माह नगर निगम एवं मेरठ विकास प्राधिकरण के अभियन्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से कर माह की 10 तारिख तक प्रगति आख्या मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाये।

प्राधिकरण की 97वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 25—04—2012 की अनुपालन आख्या—

मद सं0 1

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा यह निर्देश दिया कि वित्तीय वर्ष 2011—12 के पुनरीक्षित बजट एवं वित्तीय वर्ष 12—13 के प्रस्तावित बजट की स्वीकृति के समय दिये गये निर्देश के अनुपालन की आगे समीक्षा की आवश्यकता नहीं रह गयी है। प्राधिकरण की सैनिक विहार योजना एवं स्पोर्टस गुडस् योजना के हस्तान्तरण हेतु अवशेष कार्यो को पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।

अनुपूरक प्रस्ताव—97वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 25—04—2012

अनुपूरक मद सं0 1

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

प्राधिकरण की 98वीं बोर्ड बैठक दिनांक 17—12—2012 में प्रस्तुत प्रस्ताव—

मद सं0 6

अनुपालन 100वीं बोर्ड बैठक के मद सं0 12 के अनुसार।

प्राधिकरण की 98वीं बोर्ड बैठक दिनांक 17–12–2012 में प्रस्तुत अनुपूरक प्रस्ताव–

अनुपूरक मद सं0 3

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा यह निर्देश दिये गये कि भू–राजस्व अभिलेखों का सत्यापन कराकर तदनुसार प्रश्नगत भूमि के हस्तान्तरण/अधिग्रहण की कार्यवाही की जाये। मेरठ विकास प्राधिकरण की रक्षापुरम फेस–2 योजना की अर्जित भूमि पर चल रहा यथा स्थिति का आदेश प्रभावी पैरवी करके जल्द से जल्द समाप्त कराया जाये।

प्राधिकरण की 99वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26–04–2013 में प्रस्तुत प्रस्ताव–

मद सं0 01

बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निर्देश दिये गये कि एस0टी0पी0 के रख–रखाव पर हो रहे व्यय के सम्बन्ध में गठित समिति की कार्यवाही से बोर्ड को अवगत कराया जाये।

मद सं0 02

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

मद सं0 04

मा0 बोर्ड द्वारा समिति की आख्या का अवलोकन किया गया।

मद सं0 09

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

100 वीं बोर्ड बैठक में अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देश पर अनुपालन–

मद सं0 1

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

मद सं0 02

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

मद सं0 : 03

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

मद सं0 : 04

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

मद सं0 : 06

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

मद सं0 : 07

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

मद सं0 : 08

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

मद सं0 : 09

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

मद सं0 : 10

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

मद सं0 : 11

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

मद सं0 : 12

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

मद सं0 : 13

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

प्राधिकरण की 101वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26—02—2014 में प्रस्तुत प्रस्ताव—

मद संख्या 1

मेरठ विस्तारित विकास क्षेत्र (दौराला क्षेत्र) की महायोजना 2021 की स्वीकृति के संबंध में।

यह प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में रखने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या 2

अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु कार्य योजना प्रस्ताव

यह प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में रखने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या 3

मेरठ विकास प्राधिकरण की पल्लवपुरम में 2 सामुदायिक केन्द्र तथा शताब्दीनगर, गंगानगर, पांडव नगर तथा लोहियानगर

योजना में एक–एक कुल छः सामादायिक केन्द्रों को कम–से–कम 10 वर्ष की लीज पर दिये जाने हेतु प्रस्ताव।

यह प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में रखने के निर्देश दिये गये।

प्राधिकरण की 101वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26–02–2014 में प्रस्तुत अनुपूरक प्रस्ताव–

अनुपूरक मद सं0 1

वित्तीय वर्ष 2013–14 का पुनरीक्षित बजट एवं वित्तीय वर्ष 2014–15 का प्रस्तावित बजट प्रस्ताव।

मा० बोर्ड के समक्ष वित्तीय वर्ष 2013–14 का पुनरीक्षित तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 का प्रस्तावित आय–व्ययक प्रस्तुत किया गया, जिस पर बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि वित्तीय वर्ष 2013–14 के प्रस्तावित आय–व्ययक में निम्नानुसार संशोधन कर दिया जाये:–

राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत संशोधन

1. मद संख्या–1.2 ब्याज से प्राप्तियों में प्रस्तावित धनराशि रु० 1050.00 लाख को बढ़ाकर रु० 1100.00 लाख किये जाने के निर्देश दिये गये।
2. मद सं०–1.3 मानचित्र शुल्क से प्राप्तियाँ में प्रस्तावित धनराशि रु० 100.00 लाख को बढ़ाकर रु० 300.00 लाख किये जाने के निर्देश दिये गये।
3. मद सं०–1.4 शमन शुल्क से प्राप्तियाँ में प्रस्तावित धनराशि रु० 1000.00 लाख को बढ़ाकर रु० 1500.00 लाख किये जाने के निर्देश दिये गये।
4. मद सं०–1.9 बाह्य विकास शुल्क से प्राप्तियाँ में प्रस्तावित धनराशि रु० 2000.00 लाख को बढ़ाकर रु० 3500.00 लाख किये जाने के निर्देश दिये गये।
5. मद सं०–1.12 मलबा (नगर निगम) शुल्क से प्राप्तियाँ में प्रस्तावित धनराशि रु० 10.00 लाख को बढ़ाकर रु० 25.00 लाख किये जाने के निर्देश दिये गये।

राजस्व व्यय के अन्तर्गत संशोधन

राजस्व व्यय अन्तर्गत मद सं० 3.11 नियोजन एवं सलाह व्यय में प्रस्तावित धनराशि रु० 5.00 लाख से बढ़ाकर रु० 25.00 लाख किये जाने के निर्देश दिये गये।

पूँजीगत व्यय के अन्तर्गत संशोधन

1. मद सं०–4.1 भूमि अधिग्रहण एवं अतिरक्त प्रतिकर पर व्यय में प्रस्तावित धनराशि रु० 5000.00 लाख के स्थान पर रु० 6250.00 लाख किये जाने के निर्देश दिये गये।
2. मद सं०–4.4 वाहन क्रय पर व्यय में प्रस्तावित रु० शून्य के स्थान पर वाहन क्रय करने हेतु रु० 10.00 लाख का प्राविधान किये जाने के निर्देश दिये गये।
3. मद सं०–4.9 ऋणों के मूलधन की वापसी पर व्यय में प्रस्तावित धनराशि रु० 1000.00 लाख को घटाकर रु० 100.00 लाख किये जाने के निर्देश दिये गये।
4. मद सं०–4.10 ऋणों पर ब्याज पर व्यय में प्रस्तावित धनराशि रु० 400.00 लाख को घटाकर रु० 0.50 लाख किये जाने के निर्देश दिये गये।
5. मद सं०–4.31 अवस्थापना निधि पर व्यय में प्रस्तावित धनराशि रु० 3000.00 लाख को बढ़ाकर रु० 3600.00 लाख किये जाने के निर्देश दिये गये।

उक्त के अतिरिक्त मा० बोर्ड द्वारा निम्नवत् निर्देश दिये गयेः–

1. राजस्व व्ययों में मितव्ययता हेतु तद् विषयक शाासनादेशों का पालन किया जाये।
2. पूँजीगत व्यय–मदों में राजस्व सरप्लस एवं पूँजीगत प्राप्तियों की सीमा अन्तर्गत ही धनराशि व्यय की जाये।
3. आय–व्यय का त्रैमासिक विभाजन करते हुए प्राप्ति एवं व्यय के लक्ष्यों/अनुमानों के सम्बन्ध में त्रैमासिक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाये।
4. लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपाध्यक्ष स्तर पर प्रत्येक माह अनुश्रवण किया जाये जिससे बजटिंग प्रतिबद्धता एवं वास्तविकता की तुलनात्मक स्थिति की समीक्षा हो।

5. वित्तीय दृष्टिकोण से वाइबल परियोजनायें तैयार कर नेशनल प्लानिंग बोर्ड से रियायती ब्याज पर ऋण की सुविधा का उपयोग किया जाये। इस संदर्भ में प्राधिकरण की सरप्लस धनराशि, सीड/मार्जिन मनी के रूप में प्रयुक्त हो।
6. विज्ञापन व्यय में मितव्ययता की दृष्टि से समाचार पत्रों में आवश्यकतानुसार सूक्ष्म विज्ञापन दिया जाये तथा पूर्ण विवरण प्राधिकरण की वेबसाईट पर डाला जाये।

उक्त निर्देशों के साथ वित्तीय वर्ष 2013–14 का पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2014–15 का प्रस्तावित आय–व्ययक अनुमोदित किया गया।

अनुपूरक मद सं0 2

मेरठ विकास प्राधिकरण की डा0 राम मनोहर लोहियानगर आवासीय योजना के पॉकेट एफ में पंजीकृत आवेदकों के मध्य आवंटन हेतु नियम शर्तों में शिथिलता का प्रस्ताव।

अनुपालन मद में निर्णय लिया जा चुका है।

अनुपूरक मद सं0 3

मेरठ विकास प्राधिकरण की रक्षापुरम आवासीय योजना फेस–2 के अन्तर्गत श्री प्रेमपाल सिंह मीना पुत्र स्व0 श्री हजारी सिंह, डी–26ए, मीनाक्षीपुरम, मेरठ के पक्ष आवंटित मध्यम आय वर्ग भूखण्ड सं0 ए0पी0–150 के निमित्त जमा धनराशि रूपये 6,66,250/– सब्याज वापसी के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विचार–विमर्श करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि पंजीकरण/भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्ध के मद्देनज़र आवंटी की जमा धनराशि पर ब्याज दिये जाने का क़ोई औचित्य नहीं है। यदि आवंटी अपनी जमा धनराशि वापस चाहता है तो उसकी जमा धनराशि, बिना ब्याज–बिना कटौती के वापस कर दी जाये परन्तु रिफण्ड पाने पर उसका आवंटन लैप्स (समाप्त) हो जायेगा। यदि आवंटी भूखण्ड ही चाहता है तो उसके लिये आवंटी को अन्य आवंटियों की भांति मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के समाप्त होने तक का इन्तजार करना होगा। उक्त के साथ बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिया गया कि रक्षापुरम फेस–2 योजना की अर्जित भूमि पर चल रहे यथा

स्थिति के आदेश को उपाध्यक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी करके जल्द से जल्द समाप्त कराया जाये।

अनुपूरक मद सं0 4

मेरठ विकास प्राधिकरण में कार्यरत् अधिकारियों/कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के भुगतान की प्रक्रिया को सरल किये जाने के सम्बन्ध में।

यह प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में रखने के निर्देश दिये गये। इससे पूर्व अन्य विकास प्राधिकरणों में प्रचलित व्यवस्था की जानकारी करने के निर्देश दिये।

अनुपूरक मद सं0 5

प्राधिकरण में कार्यरत सहायक अभियन्ताओं द्वारा प्राधिकरण कार्य हेतु चार पंहियॉ निजी वाहन प्रयोग करने पर वाहन भत्ता रू0 2,000/– प्रतिमाह के स्थान पर रू0 3,000/– प्रतिमाह दिये जाने का प्रस्ताव।

यह प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में रखने के निर्देश दिये गये। अन्य विकास प्राधिकरणों में प्रचलित व्यवस्था की जानकारी करने के निर्देश दिये।

अनुपूरक मद सं0 6

एक एम्बेसेडर कार क्रय करने के सम्बन्ध में।

वर्ष 2014–15 के बजट में धनराशि का प्राविधान कर मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित किया गया, यथासमय पूर्ण विवरण सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।

अनुपूरक मद सं0 7

रूड़की रोड़ पर ग्राम मुकर्रबपुर पल्हैडा, रोशनपुर डौरली व पीलना सोफीपुर की भूमि पर पल्लवपुरम फेस–तृतीय के स्थान पर ग्राम रिठानी, नंगला शेरखाँ उर्फ जैनपुर, नूरनगर, मौहम्मदपुर गुम्मी एवं लिसाड़ी की भूमि पर न्यू टाउनशिप विकसित करने हेतु भूमि अर्जन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

यह प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में रखने के निर्देश दिये गये।

अनुपूरक मद सं0 8

मेरठ विकास प्राधिकरण में मानचित्र स्वीकृति एवं भू–उपयोग प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु शुल्कों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

यह प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में रखने के निर्देश दिये गये।

अनुपूरक मद सं0 9

अवैध कालोनियों की रोकथाम हेतु प्रस्ताव।

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। मा0 बोर्ड द्वारा उपस्थित सदस्यों से क्रमवार सुझाव माँगे गये। मा0 बोर्ड के सदस्य द्वारा यह सुझाव दिया गया कि प्राधिकरण से तलपट मानचित्र की बिना स्वीकृति के, बिना प्राधिकरण की अनापत्ति के सब रजिस्ट्रार को रजिस्ट्री न करने निर्देश दिये जाये तथा अनाधिकृत कालोनियों पर बिजली के कनेक्शन न मिलें। प्रवर्तन खण्ड के समस्त फील्ड स्टाफ का प्रभावी नियन्त्रण हो। प्रवर्तन खण्ड का जो स्टाफ एक ही क्षेत्र में लम्बे समय से कार्यरत् है, उसे दूसरे क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जाये। बोर्ड द्वारा परामर्शदात्री सेवा केन्द्र की स्थापना का भी निर्णय लिया गया, इसके लिये आर्किटेक्ट पैनल बनाने का भी निर्णय लिया गया जिससे आम नागरिक को नक्शा पास कराने की जानकारी ही नहीं, उन्हें पूर्ण सहयोग/परामर्श भी मिल सके। बोर्ड का मत है कि अनाधिकृत निर्माण की रोकथाम के लिये सम्बन्धित निर्माण जिस थाना क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता है, द्वारा ही पुलिस बल उपलब्ध कराया जाना व्यवहारिक होगा। यदि अनाधिकृत निर्माण होता है और उस पर प्रभावी कार्यवाही नहीं होती है तो उसके लिये ज़ोनल अधिकारी ज़िम्मेदार होंगे। बोर्ड सदस्य श्री परविन्दर ईशू ने कहा कि वाहय् विकास शुल्क की अदायगी व इसका खर्च किस–किस मद

में हुआ है, इसकी जानकारी मा0 बोर्ड को दी जाये। अवैध निर्माण से सम्बन्धित शिकायतों को केन्द्रीयित रूप से एक रजिस्टर जिसका प्रारूप तहसील दिवस क़ी भांति निर्धारित किया जायेगा, में अंकित किया जायेगा, उसके निस्तारण की प्रविष्टि भी रजिस्टर में की जायेगी तथा लेखा–जोखा प्रत्येक बैठक में बोर्ड के समक्ष रखा जायेगा।

अनुपूरक मद सं0 10

सूरजकुण्ड पार्क के रखरखाव कार्य को बी0ओ0टी0 के आधार पर कराये जाने के सम्बन्ध में।

यह प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में रखने के निर्देश दिये गये।

मद सं0 11

गंगानगर आवासीय योजनान्तर्गत अतिरिक्त प्रतिकर की बढ़ी धनराशि पर देय ब्याज की धनराशि को माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार विमर्श किया गया। बोर्ड द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में प्राप्त प्रत्यावेदनों पर उपाध्यक्ष द्वारा पारित स्पीकिंग आदेशों का भी अवलोकन किया गया। बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिया गया कि उपाध्यक्ष द्वारा पारित निर्णय वैध है। प्रत्यावेदकों के ऊपर जो ब्याज लगाया गया है, उसे छोडे जाने का कोई औचित्य नहीं है। सदस्य श्री परविन्दर इशू एवं डा0 राजेश सिंह ने आवंटियों को कुछ रियायत देने की बात कहीं जिस पर विचारोपरान्त सुनिश्चित किया गया कि केवल मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के दिनांक से प्रत्यावेदन के निस्तारण तक की अवधि का ब्याज न लेते हुए शेष देय समस्त धनराशि के भुगतान हेतु नोटिस जारी किये जाये। यदि प्रत्यावेदकगण नोटिस में निहित अवधि के अन्दर देय धनराशि जमा नहीं करते है तो पूर्व की भाँति ब्याज देय होगा।

अनुपूरक मद सं0 12

प्राधिकरण की डा0 राम मनोहर लोहियानगर योजना पाकेट–एफ में बुनकर उद्योग हेतु पंजीकृत शेष आवेदकों को भूखण्ड के आवंटन के सम्बन्ध में।

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विमर्श किया गया तथा बुनकर श्रेणी के रिक्त 74 भूखण्डों के सापेक्ष नये सिरे से विज्ञापन देकर लाटरी से आवंटन की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

अनुपूरक मद सं0 13

प्राधिकरण में कार्यरत विकास प्राधिकरण अकेन्द्रीयित सेवा के समूह–'ग' व 'घ' के कर्मचारियों को प्रतिमाह मोबाईल भत्ता अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। बोर्ड द्वारा भत्ता स्वीकृति से सम्बन्धित लिये गये निर्णय के आधार को भलि भांति स्पष्ट करते हुए, अन्य प्राधिकरणों से इस सम्बन्ध में जानकारी लेकर तथा सी0यू0जी0 के विकल्प पर विचारोपरान्त इस मद को पुनः बोर्ड के सम्मुख रखने के निर्देश दिये गये।

अनुपूरक मद सं0 14

मैसर्स सत्यम एसोसियेटस द्वारा प्रस्तुत तलपट मानचित्र सं0 35/2013 में निहित ग्राम मुकर्रबपुर पल्हैड़ा के खसरा सं0 173, 174, 175, 179, 180, 181/1, 181/2, 181/3, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 195, 197, 198, 199, 200, 246, 251, 252, 253, 254 व 255 तथा ग्राम दुल्हैडा चौहान के खसरा सं0 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1446 से 1470 कुल 229144 वर्ग मीटर भूमि का भू–उपयोग प्रस्ताव।

यह प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में रखने के निर्देश दिये गये।

अनुपूरक मद सं0 15

प्राधिकरण योजनाओं के मध्य अनधिग्रहीत भूमि को समायोजन के संबंध में।

बोर्ड द्वारा विस्तार में विचार विमर्श किया गया तथा यह निर्देश दिये गये कि लखनऊ विकास प्राधिकरण, कानपुर विकास प्राधिकरण, आगरा विकास प्राधिकरण व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से इस बिन्दु पर जानकारी कर ली जाये कि उनके यहाँ क्या व्यवस्था है। यदि नीति निर्धारित है तो उसके दृष्टान्त पर प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

अन्य विषयः–भूमि अर्जन एवं उससे सम्बन्धित विवादों के निपटारे हेतु संस्तुति तैयार करने के लिये सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाये। समिति में तहसीलदार, विकास प्राधिकरण, प्रभारी विधि, अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति), मेरठ आदि सदस्य हो। ऐसे विवाद समिति के विचारार्थ सन्दर्भित किये जाये। नये भूमि अर्जन अधिनियम का ऐसे विषयों पर क्या प्रभाव पडेगा, इसका भी परीक्षण, समिति करें। जो भू–विवाद विभिन्न न्यायालयों में लम्बित है, उनकी प्रभावी पैरवी कर निस्तारित कराये जाये। उक्त समिति आवश्यकतानुसार किसानों से विचार विमर्श, निगोसियेशन कर समस्या के निराकरण हेतु अपनी संस्तुतियां सक्षम स्तर पर प्रस्तुत करें।

2. बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये कि नगर निगम सीमा में पड़ी नगर निगम में संनिहित भूमि तथा प्राधिकरण सीमा में ग्राम समाज की भूमि चिन्हित कर पुनर्ग्रहण प्रस्ताव भेजें जाये जिससे लैण्ड बैंक में वृद्धि हो सके।

3. सदस्य डा0 राजेश सिंह एवं श्री परविन्दर इशू ने अवैध कालोनियों की सूची प्राधिकरण की वेबसाईट पर डालने की बात कही जिस पर मा0 बोर्ड ने निर्देश दिया कि अनाधिकृत कालोनियों की सूची वेबसाईट पर डाली जाये।

4. सदस्य डा0 राजेश सिंह ने लोहा एवं लकड़ी कारोबारियों को शहर से बाहर लोहा एवं लकड़ी मण्डी बनाने का सुझाव दिया।

5. बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि किसी कालोनी में स्थित भूखण्ड पर ग्रुप हाउसिंग का मानचित्र प्राप्त होने पर उसकी स्वीकृति से

पूर्व सम्बन्धित कालोनी की प्रबन्ध समिति, यदि गठित है, का अनापत्ति पत्र लिया जाये।

(राजेश कुमार)
सचिव / उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(मनजीत सिंह)
अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड,
मेरठ।